



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 20 जुलाई, 2021

आषाढ़ 29, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 2791/छ:-पु०-09-2021-20(10)(8)-89 टी०सी०
लखनऊ, 20 जुलाई, 2021

अधिसूचना

(शक्ति)

प०आ०-243

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा संचालित परीक्षा वर्ष 2021 के लिए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1965) की धारा 2 के खण्ड-ग में यथा परिभाषित समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों को दिनांक 24 जुलाई, 2021 से 14 अगस्त, 2021 तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें संबंधित केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

आज्ञा से,
तरुण गाबा,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2791/VI-P-9-21-20(10)(8)-89T.C., dated July 20, 2021:

No. 2791/VI-P-9-21-20(10)(8)-89T.C.

Dated Lucknow, July 20, 2021

IN exercise of the power under section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint, all the Superintendents of the centres of examinations-2021 conducted by Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra as defined in clause (c) of section 2 of Uttar Pradesh Universities (Provision Regarding Conduct of Examination) Act, 1965 (U.P. Act no. XXIV of 1965) as Executive Magistrates, to be known as Special Executive Magistrate and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said Code on such Executive Magistrate from July 24, 2021 to August 14, 2021, to be exercised within the limits of the respective centres of which they are Superintendents.

By order,
TARUN GAUBA,
Sachiv.